भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 202

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

202. श्री टी.आर. बालू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घोषित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) के अंतर्गत 99,446 करोड़ रुपये का लाभ उठाने हेतु उद्योगों और कर्मचारियों के लिए योग्यता मानदंडों को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसी योजना की व्यवहार्यता और सफलता का आकलन करने के लिए कोई पायलट परियोजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो 3.5 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार का बड़ा लक्ष्य तय करने का आधार क्या है; और

(घ) रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना पर फैसला लेने से पहले सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों के साथ किए गये विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार सम्बद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2025 को किया गया था|

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) उक्त योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। सभी योजना-संबंधी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है|

कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन हेतु पात्रता मानदंड को रेखांकित करते हुए व्यापक योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना और इसके प्रावधानों को देश भर में व्यापक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

प्रभावी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तैयार किए गए हैं और समझने में आसानी के लिए इन्हें योजना पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है|

यह योजना श्रम-गहन मंत्रालयों, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संघों और डोमेन विशेषज्ञों सहित सभी संगत हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है। इस योजना के तहत पंजीकरण की अवधि दो वर्ष है।

***